प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला : भ्र. नि. ब्यूरों इन्टे.उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी, जयपुर वर्ष 2022
   प्र.इ.रि.सं. 460/22 दिनांक 30/11/2022

2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट धारायें – 7, पीसी एक्ट (संशोधित) 2018
   (ii) अधिनियम – धारायें –
   (iii) अधिनियम – धारायें –
   (iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 543 समय 10:50 P.M.
   (ब) अपराध के घटने का दिन व समय : दिनांक 7–9–2022 समय 12.45 पी.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 7–9–22

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित

5. घटना स्थल : नगर विकास प्रन्यास, जिला उदयपुर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी : पश्चिम दिशा, करीब 2.5 किमी.
   (ब) पता : नगर विकास प्रन्यास जिला उदयपुर
   .....–..... बीट संख्या .....–.....जरायमदेही सं...
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....–..... जिला .....–.....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :
   (अ) नाम : – श्री बन्शीलाल डांगी
   (ब) पिता का नाम : – दल्ला जी डांगी
   (स) जन्म तिथि/वर्ष : – उम्र 44 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता : – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .....–..... जारी होने की तिथि .....–.....
   जारी होने की जगह .....–.....
   (र) व्यवसाय :– खेती का कार्य
   (ल) पता : – निवासी डागलियों की मगरी, जिला उदयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   श्री लक्ष्मणराम माली पिता तुलसाराम जाति माली उम्र 41 साल निवासी दर्शनम अपार्टमेन्ट समतानगर बेदला जिला उदयपुर हाल पटवारी, नगर विकास प्रन्यास जिला उदयपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा 20,000/– रूपये, आरोपीया के द्वारा परिवादी से रिश्वत मांगकर ग्रहण करना।		

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 20,000 रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय जी,

निवेदन है कि दिनांक 7.9.2022 को परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी पुत्र दल्ला जी डांगी निवासी डागलियों की मगरी, उदयपुर ने ब्यूरो इकाई इन्टें पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिपि में इस आशय कि प्रस्तुत की कि ''मुझ प्रार्थी ने यूआईटी में पड़ौसी श्री भंवरलाल डांगी द्वारा एक भूमि पर व्यावसायिक होटल चलाई जा रही, से संबंधित रिपोर्ट दी, यह व्यावसायिक गतिविधी है। इस वाद में मैंने यूआईटी में शिकायत कि है जिसके आधार पर यूआईटी में प्रकरण दर्ज कराये उक्त प्रकरण में यूआईटी के पटवारी श्री लक्ष्मण जी जाट द्वारा मुझे कहा गया कि ये तेरे पक्ष में आर्डर करा दूंगा। होटल सिल करा दूंगा या गिरवा दूंगा, इसके लिये खर्चा करना पडेगा, उनके द्वारा भावना होटल को सील या गिराने के एवज में 40,000 हजार रूपये की मांग की जा रही है, मैं उनको रिश्वत के रूप में रूपये नहीं देना चाहता हूं। मेरे व उनकी आपसी कोई दुश्मनी नहीं है न ही हमारे आपस में लेन-देन बाकी है। मैं उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं, कार्रवाई करावें।'' जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी से मजीद पूछताछ की गई तो परिवादी द्वारा लिखित रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का दौहराया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया गया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के मन्तव्य से अवगत कराया जाकर परिवादी को संदिग्ध आरोपी से रिश्वती राशि मांग सत्यापन कराने कहा गया तो परिवादी ने बताया कि पटवारी जी मेरे परिचित होकर वो मुझसे मोबाईल पर वार्ता कर लेगें जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु कार्यालय कक्ष की अलमारी में रखे डिजीटल टेप रिकार्डर को निकलवाकर इसको चालू-बन्द (संचालन) की प्रक्रिया परिवादी श्री बन्शीलाल को समझाई एवं कार्यालय अलमारी में रखे नया मैमोरी कार्ड निकाल कर डिजीटल टेप रिकार्ड में डाला गया।

इसके बाद मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को पुनः पुछा कि संदिग्ध पटवारी आपसे मोबाईल पर वार्ता कर लेगा, उसको शंका तो नहीं होगी तो परिवादी द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मुझसे पटवारी साहब रूपयों की बात मोबाईल पर कर लेगें जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त दिनांक 7.9.22 को डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर परिवादी के मोबाईल नं. 9982441111 से संदिग्ध पटवारी लक्ष्मण के मोबाईल नं. 7976876159 पर समय करीबन 1.02 पीएम पर कॉल करा लाउड स्पीकर ऑन करा वार्ता करवाई जिसे ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की गई। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को परिवादी के समक्ष चला कर सुना गया तो दौराने वार्ता परिवादी कहता है कि **''ठीक है सर, आपके लिये आपके वास्ते चालीस यूं मानो, दो चार चार किश्तें कर लूं, क्या करूँ ये बताओ''** इस पर आरोपी पटवारी कहता है कि **''नी यार चार नहीं होगी यार, नी यार प्लीज यार, चार मत करो यूं मत करो''** आगे परिवादी कहता है कि **''पांच पांच दिन में दे दूंगा साब और क्या करूँ''** तो आरोपी पटवारी कहता है कि **''नहीं यार मेरी बात सुनो जो चार मत करो यार प्लीज यार''** तो आगे परिवादी रिश्वत राशि कुछ कम कहने कि बात करते हुए कहता है कि **''तो एक काम करो साब, नहीं हो तो चालीस के बदले तीस करो तो दो किश्त में कर देंगें खतम करें''** इस पर आरोपी सहमति देते हुए तुरंत उसी दिन बीस हजार लेने पर सहमत होते हुए कहता है कि **''तो आज मुझे बीस दे दो, फिर दस तुम कल परसों भले दे देना''** इस प्रकार संदिग्ध पटवारी द्वारा परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी से 40,000 रूपये की मांग की गई, किन्तु परिवादी द्वारा राशि कम करने की कहने पर संदिग्ध पटवारी 20,000 रूपये लेने हेतु राजी हुआ और संदिग्ध द्वारा रूपये लेकर आज ही 1 या 2 घन्टे में रिश्वत राशि लेकर आने को कहा गया। वार्ता में परिवादी व आरोपी के कार्य के बारें में पूरी बात नहीं होने से मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पुनः समय करीबन 1.25 पीएम पर पुनः डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर परिवादी के मोबाईल नं. 9982441111 से संदिग्ध पटवारी लक्ष्मण के मोबाईल नं. 7976876159 पर वार्ता लाउड स्पीकर ऑन करा करवाई जिसे ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की गई जिसे सुना गया तो आरोपी पटवारी परिवादी को कहता है कि **''मैं पेशियाँ आपको सब बता दूँगा, हाथों हाथ साहब को फोन करके पूछ लूंगा वहाँ ही''** इस पर परिवादी रिश्वती राशि के बारे में कहता है कि **ठीक है चलो वा, तो ये बीस तो वा दे ही दूँ अभी ठीक है आज''** इस पर आरोपी अपनी सहमति स्पष्टतः देते हुए कहता है कि **''हां दो दो''** परिवादी के पुनः पूछने पर कि **''बीस हजार ठीक है साब''** तो आरोपी पुनः सहमति देते हुए **''हां''** कहता है। इस प्रकार आरोपी पटवारी रिश्वती राशि 40,000

हजार की जगह 20,000 रूपये लेने को तैयार हो जाता हैं। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि 20,000 रूपये के बारे में कहा तो परिवादी द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को अवगत करा कि मेरे पास अभी इतने रूपये नहीं है मैं, व्यवस्था करके लाता हूं। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत के रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वती राशि साथ में लाने का कह कर रवाना किया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से तहरीर श्रीमान अतिरिक्त निदेशक निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर को दो राजपत्रित अधिकारी को कार्यालय में उपस्थित बाबत् जारी कर कानि. श्री अजय कुमार नं. 456 को रवाना किया जिस पर कुछ समय बाद श्री अजय कुमार कानि. मय दो स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय में उपस्थित हुआ जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा हर दोनो गवाहान का परिचय पूछा गया तो दोनो ने अपना-अपना परिचय श्री कपिल वसींटा पिता ओमप्रकाश वसींटा उम्र 31 वर्ष, निवासी अभिषेक भवन, बिहाईन्ड ओल्ड बस स्टेण्ड, मावली जिला उदयपुर, हाल भू-वैज्ञानिक एवं श्री खोरवाल महेन्द्र, पिता चेनाराम उम्र 23 वर्ष, निवासी मुकाम पोस्ट बरनेल, वाया गच्छीपुरा, तहसील परबतसर, जिला नागौर, हाल कनिष्ठ सहायक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग निदेशालय उदयपुर होना बताया जाने पर दोनो गवाह को ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने हेतु सहमति चाही गई तो हर दोनों गवाह द्वारा अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति दी गई।

इसके बाद समय करीबन 02.20 पी.एम. पर परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी कार्यालय में उपस्थित होकर बताया कि मेरे पास अभी 10,000 रूपये की ही व्यवस्था हुई है जो मैं लेकर आया हूं, मैं लक्ष्मण जी पटवारी को 10,000 रूपये लेने के लिये राजी कर लूंगा जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी एवं स्वतंत्र गवाहान श्री कपिल वसींटा, भू-वैज्ञानिक एवं श्री खोरवाल महेन्द्र कनिष्ठ सहायक का आपस में परिचय कराया जाकर परिवादी की लिखित रिपोर्ट स्वतंत्र गवाह को पढ़कर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी द्वारा रिपोर्ट स्वयं लिखित होना बताया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर स्वतंत्र गवाहान श्री कपिल वसींटा, भू-वैज्ञानिक एवं श्री खोरवाल महेन्द्र कनिष्ठ सहायक के हस्ताक्षर करवाये जाकर संलग्न रनिंग नोट की।

मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आज दिनांक को परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी एवं आरोपी पटवारी लक्ष्मण के मध्य हुई मोबाईल पर हुई वार्तायें समय करीबन 1.02 पी.एम. एवं 1.25 पी.एम. जिन्हें ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की गई, उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को चलाकर सुना गया तो स्वंतत्र गवाह के समक्ष ही परिवादी द्वारा रिकार्ड में रिकार्ड की गई वार्ता में एक आवाज स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी पटवारी की होने की ताईद की एवं स्वतंत्र गवाह द्वारा वार्ताओं में रिश्वती राशि की मांग की जाने की पुष्टि की गई। इसके बाद मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री विकास कुमार कानि. 262 से स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष डिजीटल टेप रिकार्ड में आज दिनांक 7-9-2020 को समय करीबन 1.02 पीएम एवं 1.25 पीएम पर हुई परिवादी एवं आरोपी पटवारी के मध्य वार्तायें जिन्हें ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड कि थीं, को पृथक-पृथक चलाई जाकर वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्टें पृथक-पृथक मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर को स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष कानि. श्री विकास कुमार से ही कार्यालय लेप-टॉप से कनेक्ट कराया जाकर वार्ताओं की मूल एवं डब सीडीयां पृथक-पृथक तैयार करायी गयीं। मूल एवं डब सीडीयों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडीयों को सीडी कवर में रखकर सिलचिट किया गया। डब सीडीयों को सीडी कवरों में सुरक्षित रखा गया।

तदुपरांत मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में भ्रनिब्यूरो उदयपुर से श्री मुनीर मोहम्मद हैडकानि. को ट्रेप बॉक्स मय सोडियम कार्बोनेट पाउडर के तलब किया जाने पर उपस्थित आया, ट्रेप बॉक्स को कानि. विकास कुमार को सुपूर्द किया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उपस्थित गवाहान के समक्ष परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी को आरोपी श्री लक्ष्मण लाल पटवारी नगर विकास प्रन्यास उदयपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10000 हजार रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किये जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री मुनीर मोहम्मद हैडकानि. से दो अखबार

बिछवाकर अखबार पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर श्री मुनीर मोहम्मद हैडकानि. से लगवाया जाकर नोटों को स्वतंत गवाह श्री कपिल वसीटा से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब में कुछ ओर चीज न रहते हुए रखवाई गई। तत्पश्चात उपस्थितिन के समक्ष श्री अजय कुमार कानि. से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ कॉच का गिलास निकलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर उपस्थित गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री मुनीर मोहम्मद हैडकानि के हाथों की उंगलियों व अंगुठे जिस पर फिनोफथलीन पाउडर लगा हुआ था, को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री मुनीर मोहम्मद हैडकानि से फिकवाया गया तथा अखबार को जलाकर नष्ट करवाया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि से भ्रनिब्यूरो उदयपुर कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु सम्भलाया जाकर भ्रनिब्यूरो उदयपुर रवाना किया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलास को श्री अजय कुमार कानि. से दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गए। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए; यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर गोपनीय ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री अजय कुमार कानि0 से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियाँ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गए।

इसके पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस में परिचय करवाया, गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी को डिजीटल टेप रिकार्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करें। परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। इस कार्यावाही की अलग से फर्द प्रदर्शन पृथक से बनाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गए।

तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उपस्थित गवाहान के समक्ष परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी को आरोपी के कहे अनुसार 2 घण्टे व्यतीत होने पर आरोपी से वार्ता कराने हेतु समय करीबन 3.44 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजीटल टेप रिकार्डर चालु करा परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी के मोबाईल नं. 9982441111 से आरोपी श्री लक्ष्मणलाल पटवारी नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के मोबाईल नं. 7976876159 पर कॉल करवाया गया तो आरोपी द्वारा थोडी देर बाद में कॉल करता हूं, कहा गया एवं निश्चित समय नहीं बता मोबाईल बन्द कर दिया। उक्त वार्ता को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। काफी इन्तजार करने पर भी आरोपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आने से परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी को आरोपी से सम्पर्क करने हेतु कहा गया एवं उपस्थित गवाहान के समक्ष ही समय करीबन 4.24 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजीटल टेप रिकार्डर चालु करा परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी के मोबाईल नं. 9982441111 से आरोपी श्री लक्ष्मणलाल पटवारी नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के मोबाईल नं. 7976876159 पर कॉल करवाया गया तो आरोपी द्वारा परिवादी को कहा गया कि मैं कहीं बैठा हूं। मैं आपकी डेयरी पर ही आ जाऊंगा और मोबाईल बन्द कर दिया। उक्त वार्ता को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी बन्शीलाल डांगी एवं आरोपी पटवारी लक्ष्मण के मध्य मोबाईल पर हुई वार्तायें जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो के

डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की गई। उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष चलाकर सुना गया तो स्वंतत्र गवाह के समक्ष ही परिवादी द्वारा वार्ता में एक आवाज स्वयं की एवं दूसरी आवाज आरोपी पटवारी की होना ताईद की। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री विकास कुमार कानि. से ही स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष डिजीटल टेप रिकार्ड में दिनांक 7-9-2020 को समय करीबन 3.44 पीएम एवं 4.24 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी पटवारी के मध्य मोबाईल पर हुई वार्तायें जो ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड थीं को पृथक-पृथक चलाई जाकर वार्ताओं की फर्द ट्रान्सकिप्टें पृथक-पृथक मुर्तिब करवाई जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गए एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर को स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी के समक्ष ही कानि. श्री विकास कुमार से कार्यालय लेपटॉप से कनेक्ट कराया जाकर वार्ताओं की मूल एवं डब सीडीयां पृथक-पृथक तैयार कराई गयीं। मूल एवं डब सीडीयों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गए। मूल सीडीयों को सीडी कवर में रखकर सिलचिट करवाया गया एवं डब सीडीयों को सीडी कवरों में सुरक्षित रखवाया गया। आरोपी पटवारी श्री लक्ष्मण लाल नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा परिवादी को रिश्वती राशि ग्रहण के संबंध में परिवादी को उसकी डेयरी पर ही आकर लेने हेतु कहा गया, जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को आरोपी पटवारी के मोबाईल पर कॉल करवाया तो आरोपी द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया एवं न ही वापस आगे से कॉल किया, चूंकि आरोपी पटवारी के कार्यालय का समय भी समाप्त होने एवं परिवादी का काल रिसीव नहीं करने से तथा बार-बार कॉल कराने से आरोपी पटवारी को भनक लगने की संभावना के मद्देनजर कार्यवाही को रोकी गई।

इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री कपिल वसींटा से परिवादी के पहनी हुई पेंट की सामने दाहिनी जेब में पूर्व रखी रिश्वती राशि को निकलवाकर एक लिफाफे में रखवायी गई, लिफाफे एवं डिजीटल टेप रिकॉर्डर को कानि. श्री विकास नागदा 232 से कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया एवं परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में अगले दिन सुबह कार्यालय में उपस्थित होने एवं ट्रेप कार्यवाही में संपूर्ण गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई मोबाईल पर हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ताओं की सीलबंद मूल सीडीज एवं डब सीडीज को मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया एवं ब्यूरो जाब्ता को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत दी गई। तत्पश्चात दिनांक 8.9.2022 को पूर्व में पाबंदशुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री कपिल वसींटा भू-वैज्ञानिक एवं श्री खोरवाल महेन्द्र कनिष्ठ सहायक उपस्थित कार्यालय आये जिनको कार्यालय कक्ष में बिठाया गया एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी के आने का इंतजार किया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवादी का उपस्थित होना आवश्यक है किन्तु परिवादी नियत समय उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुआ अतः मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी तो ज्ञात आया कि परिवादी श्री बंशीलाल डांगी व उसके पड़ौसी से आपसी मारपीट होने से परिवादी हॉस्पीटल में जैर इलाज होना ज्ञात आया है, ऐसी स्थिति में परिवादी के बिना अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने से हालात से स्वतंत्र गवाहान को अवगत कराया एवं स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक हिदायत के रूखसत किया गया। भ्रनिब्यूरो उदयपुर से श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि का तलब कर ट्रेप बॉक्स संभलाया गया। परिवादी के स्वस्थ हो उपस्थित कार्यालय आने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाना तय किया गया। तत्पश्चात मन् ट्रेपकर्ता अधिकारी द्वारा ट्रेप के हालात से श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर रेन्ज उदयपुर को अवगत कराया एवं निर्देशानुसार स्वीकृत शुदा उपार्जित अवकाश दिनांक 12.09.2022 से दिनांक 26.09.2022 तक में रवाना हुआ।

तत्पश्चात दिनांक 13.9.2022 को समय करीबन 3.00 पी.एम. पर श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक ब्यूरो इकाई बांसवाड़ा श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर रेन्ज उदयपुर के निर्देशानुसार ब्यूरो इकाई इन्टें. पर अग्रिम ट्रेप हेतु कार्यालय में उपस्थित हुए। पुलिस उप अधीक्षक श्री हेरम्ब जोशी द्वारा श्री गजेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक को नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के पटवारी के विरूद्ध की जा रही ट्रेप कार्यवाही की पत्रावली तलब करने पर श्री गजेन्द्र कुमार स.उ.नि. द्वारा पत्रावली उपलब्ध कराई गई। पत्रावली प्राप्त कर पत्रावली में उपलब्ध फर्द ट्रान्सकिप्ट्स रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं रनिंग एवं फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट का अवलोकन किया गया तो पटवारी श्री लक्ष्मणलाल के द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि की मांग करने की पुष्टि हुई जिस पर श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक द्वारा

परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ताओं की डब सीडी प्रस्तुत करने हेतु कहा गया जिस पर श्री विकास कुमार कानि. द्वारा मालखाने से डब सीडी निकाल कर प्रस्तुत की गई जिस पर श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सीडियो को लेप–टॉप में कनेक्ट करा कर सुना गया तो फर्द ट्रान्सक्रिप्ट में अंकित वार्ता का मिलान हुब हु हुआ एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की पुष्टि हुई। श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो के परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी से सम्पर्क किया गया एवं उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो परिवादी बन्शीलाल हॉस्पीटल से डिस्चार्ज हो अपने घर पर ही होना ज्ञात आने पर परिवादी को तलब किया गया तो परिवादी द्वारा कुछ देर में उपस्थित होना बताया। परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी तलब शुदा ब्यूरो इकाई इन्टें पर समय करीबन 4.40 पीएम पर उपस्थित हुआ जिसे श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपना स्वयं का परिचय देकर पूर्व में की गई कार्यवाही के बारे में पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया कि ''मैं दिनांक 7.9.2022 को श्री दिनेश जी सुखवाल डिप्टी साहब के समक्ष पेश हुआ और एक लिखित रिपोर्ट श्री लक्ष्मण लाल पटवारी नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के खिलाफ रिश्वती राशि मांग करने एवं रिश्वत देते हुए रंगे हाथो पकडवाने हेतु दी थी और उसी दिन डिप्टी साहब दिनेश जी सुखवाल ने मेरे मोबाईल से आरोपी लक्ष्मण लाल पटवारी की वार्ता कराई थी जिसमें पटवारी साहब मेरे द्वारा नगर विकास प्रन्यास उदयपुर में भंवरलाल के खिलाफ शिकायत पर होटल सीज करने एवं उसको तोडने का आश्वासन देकर 40,000 रूपये की मांग की एवं मेरे द्वारा कुछ रूपये कम करने का निवेदन करने पर 20,000 रूपये लेने को राजी हो गया था लेकिन उस दिन शाम को उसने मुझे फोन नहीं किया तो डिप्टी साहब ने मुझे शाम को देर तक अपने घर के लिये रवाना किया था और उन्होंने यह भी कहा था कि पटवारी का कॉल आये तो मुझसे सम्पर्क करना किन्तु उस दिन मेरे पास पटवारी का कॉल नही आया था। फिर दिनांक 8.9.2022 को मैं व मेरी पत्नी श्रीमती नारायणी देवी दोनो हमारे खेत नेशनल हाईवे 76 पर स्थित श्री भंवरलाल के होटल के पास पर गये थे तो वहां पर भंवरलाल व उसके साथियों ने मेरे व मेरी पत्नी के साथ हथियारों से हमला कर दिया जिससे मैं दिनांक 8.9. 2022 को हॉस्पीटल में भर्ती हो गया था जहां पर में तीन दिन भर्ती रहा और दिनांक 11.9.2022 को मेरी हॉस्पीटल से छुट्टी हुई इसलिये मैं एसीबी कार्यालय में वापस नहीं आ सका।

इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री बंशीलाल डांगी को उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिखाई तो परिवादी ने रिपोर्ट स्वयं लिखित होना बताया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को उसके नगर विकास प्रन्यास में उसके लम्बित कार्य के बारे में पूछा तो उसने बताया की मेरी नेशनल हाइवे–76 पर कृषि भूमि है जिससे सटी हुई कृषि भूमि श्री भंवर लाल की है जिसने कृषि भूमि पर होटल बना रखी है और मेरे खेत पर आने जाने के रास्ते को लेकर विवाद है जिस पर मैंने श्री भंवरलाल के विरूद्ध बिना अनुमति के कृषि भूमि पर होटल बनाने की रिपोर्ट दी, जिसे सीज करने व तोड़ने की शिकायत की जिसकी शिकायत संख्या 3390 दिनांक 27.06. 2022 को यूआईटी उदयपुर में दर्ज हुई। उक्त शिकायत पर कार्यवाही करने की एवज में लक्षमण जी पटवारी मुझसे रूपये की मांग की जिस पर मैंने दिनांक 07.09.2022 को शिकायत एसीबी में की।'' जिस पर श्री हेरम्ब जोशी मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को पटवारी के नाम के बारे में पूछा गया तो उसने पटवारी का नाम श्री लक्षमण माली होना बताया है। श्री हेरम्ब जोशी मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही के क्रम में पूर्व में पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री कपिल वसीटा भू–वैज्ञानिक एवं श्री खोरवाल महेन्द्र, कनिष्ठ सहायक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग निदेशालय उदयपुर को तलब किये जाने पर स्वतंत्र गवाहान श्री कपिल वसीटा भू–वैज्ञानिक एवं श्री खोरवाल महेन्द्र, कनिष्ठ सहायक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग निदेशालय उदयपुर ब्यूरो इकाई इन्टे. उदयपुर पर उपस्थित हुए। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान को अपना परिचय दिया एवं पूर्व ट्रेपकर्ता अधिकारी के अवकाश में जाने एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के बारें में अवगत करा एवं श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट बताई गई तो हर दोनो गवाह द्वारा रिपोर्ट पर अपने–अपने हस्ताक्षर होने की ताईद एवं ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की मौखिक स्वीकृति भी पूर्व डिप्टी साहब द्वारा पूछने पर हम दोनो ने दी थी। श्री हेरम्ब जोशी मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पूर्व में मुर्तिब रनिंग नोट एवं फर्द तथा सिलचिट सिडीयां आदि पर अंकित हस्ताक्षरों को बताया गया तो हर दोनो गवाह एवं परिवादी के द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर होने की ताईद की। श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो इकाई इन्टे. उदयपुर का डिजीटल टेप रिकार्डर मांगा तो श्री गजेन्द्र कुमार

सहायक उप निरीक्षक द्वारा कार्यालय अलमारी में से डिजीटल टेप रिकार्डर को निकालकर प्रस्तुत किया। जिस पर श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री गजेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक को डिजीटल टेप रिकार्डर में मैमोरी कार्ड के बारे में पूछा गया तो सहायक उप निरीक्षक ने मेमोरी कार्ड डिजीटल टेप रिकार्डर में ही होना बताया। इसके बाद समय करीबन 4.50 पीएम पर श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान श्री कपिल वसीटा भू-वैज्ञानिक एवं श्री खोरवाल महेन्द्र कनिष्ठ सहायक के समक्ष डिजीटल टेप रिकार्डर को चालु कर परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी के मोबाईल नं. 9982441111 से आरोपी पटवारी श्री लक्ष्मण माली के मोबाईल नं. 7976876159 पर स्पीकर ऑन करा वाट्सअप कॉल करवाई गई एवं वार्ता को डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की गई।

उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह के समक्ष चला कर सुना गया तो वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी को अभी हिरणमगरी में होना एवं कुछ देर में घर की तरफ ही आकर कॉल करने को कहा गया। परिवादी एवं आरोपी के मध्य करवाई गई वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी के घर की तरफ ही आकर कॉल करना बताया, इस पर पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो इकाई उदयपुर से ट्रेप बॉक्स मंगवाया एवं दिनांक 7.9.2022 को परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिश्वती राशि प्रस्तुत करने हेतु कहने पर श्री गजेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक ने कार्यालय अलमारी से निकालकर श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक को प्रस्तुत किया जिस पर पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री कपिल वसीटा भू-वैज्ञानिक से लिफाफे से निकलवाकर परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी तरफ की जेब में कुछ न रहते हुए रखवाई गई।

श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों उदयपुर रेंज उदयपुर के निर्देशानुसार ब्यूरो इकाई उदयपुर से श्री हरिश्चन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में इमदाद हेतु उपस्थित आये जिन्हें श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही के हालात से अवगत कराया गया। श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक, श्री हरिश्चन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री कपिल वसीटा भू-वैज्ञानिक एवं श्री खोरवाल महेन्द्र, कनिष्ठ सहायक एवं ब्यूरो जाब्ता श्री गजेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक मय ट्रेप बॉक्स लेपटॉप आदि संसाधन के निजी वाहन से रवाना होने से पहले परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी को डिजीटल टेप रिकार्डर के संचालन की विधि समझाई जाकर उसकी निजी कार से श्री अजय कुमार कानि. के साथ परिवादी के घर डांगलियों की मंगरी की ओर रवाना कर पीछे-पीछे उपरोक्त हमराहियान रवाना हुए। श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के सकूनत डांगलियों की मगरी, भुवाणा उदयपुर पर समय करीबन 5.40 पी.एम. पर पहुंचें जहां पर पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई आरोपी के कॉल आने पर उसे सकूनत पर ही बुलाये एवं ब्यूरो जाब्ते को घर के ही दूसरे कक्ष में अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाये परिवादी व आरोपी की बातें सुनने व रिश्वती राशि ग्रहण करने पर पुलिस उप अधीक्षक को अवगत कराने हेतु श्री गजेन्द्र कुमार सउनि व श्री अजय कुमार कानि. को परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी की सकूनत पर हिदायतन रवाना किया एवं पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान परिवादी की सकूनत के कुछ दूर पर निजी कार में आरोपी के आने के इन्तजार में रहे। काफी समय तक आरोपी के नहीं आने एवं समय रात्रि का होने तथा आरोपी की तरफ से कॉल नहीं आने एवं अब और कॉल कराने से आरोपी को शंका हो जाने की सम्भावना को मध्यनजर रखते हुए पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री गजेन्द्र कुमार सउनि को मय परिवादी व कानि. अजय कुमार को हमराह से उदयपुर राजसमन्द मुख्य सडक से नेशनल हाईवे 76 की तरफ तलब किया गया। श्री गजेन्द्र कुमार सउनि मय परिवादी व कानि. श्री अजय कुमार हाईवे पर पुलिस उप अधीक्षक की निजी कार के पास आये जहां पर पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी को आरोपी का कॉल आने पर तुरन्त पुलिस उप अधीक्षक से सम्पर्क करने तथा परिवादी बन्शीलाल डांगी की जेब में पूर्व में रखवाई रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाह श्री कपील वसीटा से निकलवाई जाकर एक लिफाफे में रखवाई जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाई गई तथा परिवादी को मामलें की गोपनीयता बरतने की हिदायत के परिवादी को उसकी सकूनत के लिये रवाना कर पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह मय ब्यूरो जाब्ता रवाना हो ब्यूरो इकाई इन्टें पहुँचें जहां पर पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 14.9.2022 को प्रातः 9.00 बजे ब्यूरो इकाई इन्टें. उदयपुर पर उपस्थित होने की हिदायत के रवाना किया गया एवं डिजीटल टेप रिकार्डर को कार्यालय अलमारी में सुरक्षित

रखा गया। रिश्वती राशि के लिफाफे एवं ट्रेप बॉक्स को श्री विकास कुमार कानि. से कार्यालय में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई मोबाईल वार्ता जिसे डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया था की सीडी पृथक से मुर्तिब करना तय किया गया। दिनांक 14.9.2022 को समय करीबन 10.00 ए.एम. पर पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री कपील वसीटा एवं श्री खोरवाल महेन्द्र ब्यूरो इकाई पर उपस्थित हुए जिन्हें कार्यालय में बैठाया गया। पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी से सम्पर्क किया गया तो परिवादी का सकूनत से रवाना होना एवं ब्यूरो कार्यालय 5–10 मिनट में पहुंचना बताया। परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी कार्यालय में 10.15 एएम पर उपस्थित हुआ जिसे श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पूछा गया कि ''कल देर रात या सुबह आरोपी पटवारी का कॉल आया या किसी प्रकार सम्पर्क हुआ तो परिवादी ने बताया कि पटवारी जी का कॉल नहीं आया और न ही उनके द्वारा सम्पर्क किया गया।'' इसके बाद पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय अलमारी में रखा डिजीटल टेप रिकार्डर को निकालवा कर दिनांक 13.9.2022 को समय करीबन 4.50 पी.एम. पर परिवादी एवं आरोपी के मोबईल पर हुई वाट्सअप वार्ता जिसे डिजीटल टेप रिकार्डर में स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिकार्ड की गई थी, उक्त डिजीटल टेप रिकॉर्डर को लेपटॉप से कनेक्ट करा परिवादी एवं गवाहान के समक्ष चलाई जाकर श्री विकास कुमार कानि. से वार्ता की फर्द ट्रान्सकिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द ट्रांसकिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई एवं उक्त वार्ता की मूल एवं डब सीडीया बनाई गई जिन पर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये एवं मूल सीडी प्लास्टिक के कवर में रखवा सील्ड करवाया गया। मूल व डब सीडी को ब्यूरो इकाई इन्टे. के मालखाना प्रभारी श्री विकास कुमार को बाद मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज के मालखाना में सुरक्षित रखने हेतु संभलायी।

तदुपरांत परिवादी के स्तर से आरोपी की जानकारी करवायी तो आरोपी पटवारी नगर विकास प्रन्यास उदयपुर होना ज्ञात आया, इस पर पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कार्यालय अलमारी में पूर्व में रखवाई रिश्वती राशि के लिफाफे को कानि. श्री विकास कुमार से निकलवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान श्री कपील वसीटा से लिफाफे में रखी रिश्वती राशि को निकलवाकर रिश्वती राशि को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब में कुछ और चीज न छोड़ते हुए रखवायी। इसके बाद ट्रेप पार्टी के सदस्यगण के हाथ साफ पानी से धुलवाये गए। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर को अलमारी से निकालकर स्वतंत्र गवाह के समक्ष परिवादी को इसके संचालन की प्रकिया समझायी एवं उसे बताया गया कि यदि आरोपी पटवारी रिश्वती राशि ग्रहण कर ले तो पुलिस उप अधीक्षक को या गजेन्द्र कुमार सउनि के मोबाइल पर कॉल कर या ब्यूरो जाप्ता को देखकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा करें। डिजिटल टेप रिकार्डर परिवादी को सुपूर्द किया एवं कानि श्री अजय कुमार को परिवादी के साथ परिवादी की निजी कार से नगर विकास प्रन्यास उदयपुर की तरफ किया एवं पीछे–पीछे मन् पुलिस उप अधीक्षक, श्री हरिश्चन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह ब्यूरो जाप्ता श्री गजेन्द्र कुमार सउनि, श्री विकास कुमार कानि मय ट्रेप बॉक्स लेपटॉप इत्यादि के समय करीबन 11.30 ए.एम. पर रवाना हुए। तत्पश्चात समय करीबन 1.00 पी.एम. पर श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान निजी वाहनों के उपस्थित कार्यालय हुए।

दर्ज रहे कि परिवादी के द्वारा नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के मुख्य द्वार में प्रवेश किया जिस पर श्री हेरम्ब जोशी पुलिस अधीक्षक मय स्वतत्र गवाह व ब्यूरो जाप्ता के नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के आस–पास अपनी अपनी उपस्थिती छिपाये खडे रहे। कुछ देर बाद परिवादी द्वारा पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि ''मैं नगर विकास प्रन्यास उदयपुर में स्थित न्यायालय तहसील जहां पर परिवादी कि शिकायत पर कार्यवाही अपेक्षित है, वहां पर परिवादी द्वारा आरोपी पटवारी लक्षमण लाल के बारे में जानकारी चाही गई तो कार्यालय मे नहीं होकर फिल्ड में जाना ज्ञात आया जिस पर परिवादी द्वारा आरोपी पटवारी को कॉल किया गया तो आरोपी द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया उक्त बात परिवादी द्वारा पुलिस उप अधीक्षक को बतायी गई जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी एवं हमराहियान को ब्यूरो पर आने की हिदायत के रवाना हो ब्यूरो इन्टे. पहुंचें। जिस पर पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपने स्तर पर आरोपी के बारे में गोपनीय रूप से जानकारी प्राप्त की गई तो ज्ञात आया कि आरोपी सुबह नगर विकास प्रन्यास उदयपुर आने के बाद उदयपुर शहर में अलग–अलग स्थान पर एवं बाद दोपहर बडगांव पंचायत समिति के लखावली आदि क्षेत्रों में होने की जानकारी प्राप्त हुई, आरोपी नगर विकास प्रन्यास में उपस्थित

नहीं हैं। अग्रिम कार्यवाही होना सम्भव नहीं होने से पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को सुपूर्द डिजीटल टेप रिकार्ड लिया जाकर कार्यालय अलमारी में रखवाया गया एवं परिवादी की जेब में रखी रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाह श्री कपील वसीटा से निकलवाई जाकर एक लिफाफे में रखवाई जाकर सुरक्षित कार्यालय अलमारी में रखी गई एवं उपस्थितिन के समक्ष के परिवादी को हिदायत दी गई कि यदि आरोपी का कॉल आये या आरोपी किसी प्रकार सम्पर्क करें तो तुरन्त पुलिस उप अधीक्षक से सम्पर्क करे तथा गोपनीयता बरतने की हिदायत के रवाना किया।

तत्पश्चात् दिनांक 15.9.2022 को प्रातः 9.00 ए.एम. पर तलबशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री कपिल वसीटा एवं श्री खोरवाल मुकेश कार्यालय में उपस्थित हुए। इसके बाद श्री हरिश्चन्द्रसिंह पुलिस निरीक्षक भ्रनिब्यूरो उदयपुर उपस्थित कार्यालय आये। तुदपरांत पाबन्दशुदा परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी ब्यूरो इकाई पर उपस्थित हुआ जिसे पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह के समक्ष आरोपी द्वारा सम्पर्क करने या कॉल आने के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही आरोपी द्वारा किसी प्रकार सम्पर्क नहीं करना बताया। आरोपी पटवारी श्री लक्ष्मणलाल माली परिवादी श्री बन्शीलाल का मोबाईल कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है एवं न ही परिवादी से किसी प्रकार का सम्पर्क कर रहा हैं, ऐसी स्थिति में यह प्रतीत होता है कि आरोपी विशेष सावधानी बरत रहा है जिसके कारण से परिवादी से रिश्वती राशि नहीं ली, अब परिवादी से मोबाईल वार्ता कराया जाना गोपनीयता के हिसाब से उचित नहीं होने से आरोपी के बारें में सुत्रों से पता किया तो आरोपी नगर विकास प्रन्यास उदयपुर में होना ज्ञात आया। इस पर श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को अपने मन्तव्य से अवगत करा कार्यालय अलमारी में लिफाफे में रखी रिश्वती राशि को श्री विकास कुमार कानि. से निकलवाई जाकर लिफाफे को स्वतंत्र गवाह श्री कपिल वसीटा को दे, उसमें से रिश्वती राशि निकलवाई जाकर परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी की पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब में कुछ और चीज न छोड़ते हुए रखवाई गई एवं स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो जाब्ते के हाथ साफ पानी, साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को रिश्वती राशि यदि आरोपी द्वारा ग्रहण कर लेने के उपरान्त मिस कॉल करने का ईशारा करने कि हिदायत देकर परिवादी को डिजीटल टेप रिकार्डर हिदायतन सुपूर्द कर परिवादी को उसकी कार से मय श्री अजय कुमार कानि. के तथा श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक, श्री हरिश्चन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाब्ता श्री गजेन्द्र कुमार सउनि, श्री विकास कुमार कानि. मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप इत्यादि के रवाना नगर विकास प्रन्यास उदयपुर हुए। पुलिस उप अधीक्षक, श्री हरिश्चन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के रवाना शुदा समयकरीबन 10.40 एम.ए. पर उपस्थित कार्यालय आये। दर्ज रहे कि श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता परिवादी के पीछे-पीछे नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाये परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में थे कि करीबन 10-12 मिनट पश्चात परिवादी बिना निर्धारित ईशारे किये नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के बाहर आया जिस पर पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ते को परिवादी के पीछे-पीछे जाने का ईशारा किया एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान भी परिवादी के पीछे-पीछे रवाना हुए तो परिवादी अपनी कार से सीधे ही ब्यूरो कार्यालय आया जहाँ पर परिवादी ने डिजीटल टेप रिकार्डर श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक को प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मैं डिजीटल टेप रिकार्डर को ऑन करके नगर विकास प्रन्यास के मुख्य द्वार से होकर श्री लक्ष्मण पटवारी के कार्यालय कक्ष में पहुँचा, परंतु पटवारी वहाँ पर नहीं मिला, फिर मैंने कार्यालय कक्ष से बाहर आकर परिसर में ही पटवारी का इन्तजार करता रहा, जहाँ कुछ ही समय बाद पटवारी जी मुझे वहां नजर आ **गये तो मैं उनके पास गया और उनसे मेरी शिकायत के संबंध में बात कि तो उन्होंने मुझे कहा कि "यार साब के पास जाओ, मेरा सेक्शन चेंज हो गया है, आप अपने स्तर पर बात कर लो। आप तो बात कर लो साब से, क्या कहे आप अपने स्तर पर देख लो, ठीक है।"** इस पर मैं वहां से रवाना होकर बाहर आया और वहाँ पर किसी को शंका न हो इसलिये मैं अपनी निजी कार से रवाना होकर सीधे एसीबी कार्यालय आ गया। मुझे पटवारी के व्यवहार से लगता है कि वो सावधानी बरत रहा है वरना वो मुझसे पैसों की बातचीत पूर्व में आसानी से करते थे, जिस पर श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत टेप रिकार्डर चला कर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये उपरोक्त तथ्यों की ताईद हुई जिस स्वतंत्र गवाह द्वारा भी स्वीकार किया गया। पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री कपील वसीटा स्वतंत्र गवाह से परिवादी की जेब

में पूर्व में रखवाई गई रिश्वती राशि निकलवाई जाकर एक लिफाफे में रख कर कार्यालय अलमारी में रखवाई गई। पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह के समक्ष डिजीटल टेप रिकार्डर को लेपटॉप से कनेक्ट करा वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री विकास कुमार कानि. से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं डिजिटल टेप रिकार्डर को उपस्थितिन के समक्ष ही कानि श्री विकास कुमार से लेपटॉप से कनेक्ट करा वार्ता की मूल एवं डब सीडीज बनाई गई जिन पर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये एवं मूल सीडी को सीडी कवर में रखवा सील्ड करवाया गया। सील्डशुदा मूल सीडी व डब सीडी को ब्यूरो इकाई इन्टे. के मालखाना प्रभारी श्री विकास कुमार को बाद मालखाना रजिस्ट्रर में इन्द्राज के मालखाना में सुरक्षित रखने हेतु संभलायी। उक्त कार्यवाही को इसी स्तर पर लंबित रखा गया।

पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ही परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी को हिदायत दी कि ''मामले की गोपनीयता बरतने एवं आरोपी पटवारी का कॉल आने या किसी प्रकार से सम्पर्क करने पर ब्यूरो को इसकी सूचना देवें।'' स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी को मामले की गोपनीयता बरतने आदि हिदायत के रूखसत किया। कार्यालय उदयपुर का ट्रेप बॉक्स पुनः सुरक्षित हालत में सुपूर्द किया गया। हालात से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया एवं निर्देशानुसार श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक अपने पदस्थापन स्थान ब्यूरो इकाई डूंगरपुर रवाना हुए।

इसके बाद दिनांक 21-9-2022 को मन् पुलिस उप अधीक्षक दिनेश सुखवाल उपार्जित अवकाश से ड्युटी पर उपस्थित हुआ एवं श्री गजेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही से संबंधीत पत्रावली प्रस्तुत की, जिसका अवलोकन किया गया तो पाया गया कि मन् पुलिस उप अधीक्षक के अवकाश में होने से श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो उदयपुर रेन्ज उदयपुर के निर्देशानुसार श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक भ्रनिब्यूरो डूंगरपुर को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु निर्देशित किये जाने पर श्री हेरम्ब जोशी पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन दिनांक 13-9-2022 एवं 14-9-2022 एवं 15-9-22 को प्रयास किये गये किन्तु आरोपी पटवारी लक्ष्मणलाल काफी सावधानी एवं विशेष सतर्कता रख कर परिवादी से रिश्वती राशि ग्रहण नहीं की गई एवं परिवादी को अवगत कराया कि मेरा सेक्शन बदल गया है।

इस प्रकार अब आरोपी पटवारी के रिश्वत लिये जाने की सम्भावना कम ही है, जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो उदयपुर रेन्ज उदयपुर को ट्रेप कार्यवाही के हालात निवेदन किये गये एवं आवश्यक हिदायत प्राप्त की गई। उक्त ट्रेप कार्यवाही निर्देशानुसार परिवादी के कार्य लम्बित होने तक रखी जाना ही उचित प्रतीत होता है। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री बन्शीलाल से सम्पर्क किया गया तो परिवादी द्वारा बताया गया कि पटवारी साहब लक्ष्मण जी मेरा कॉल नहीं उठा रहें हैं और मैं अपने स्तर से दो-तीन बार उनसे मिला था तो उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया एवं मुझे कहा कि मेरा सेक्शन चेन्ज हो गया। परिवादी बन्शीलाल को आवश्यक हिदायत दी गई एवं आरोपी द्वारा सम्पर्क करने पर तुरन्त मन् पुलिस उप अधीक्षक से सम्पर्क करें।

तदुपरांत दिनांक 12-10-2022 को परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी कार्यालय में उपस्थित आया एवं बताया कि ''मैं नगर विकास प्रन्यास उदयपुर में मेरी शिकायत पर पेशी होने से गया था। नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के न्यायालय तहसील कार्यालय में पटवारी जी लक्ष्मण जी नहीं मिले। मैंने तहसीलदार जी से बात की तो उन्होने मुझे कहा कि आपकी शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही हो रही है। फिर श्री लक्ष्मण जी पटवारी मुझे नगर विकास प्रन्यास परिसर में ही मिल गये तो मैंने उनसे मेरे कार्य के बारे में कहा तो उन्होने कहा कि मेरा सेक्शन चेन्ज हो गया है। आपका कार्य अब दूसरे पटवारी देखगें तो मैंने उन्हें कहा कि साहब वो अपनी बात हुई थी पैसों की, तो उन्होंने कहा कि मेरा सेक्शन चेन्ज हो गया, अब उन पटवारी जी से ही बात करो। फिर मैं वहां से रवाना होकर आपके पास आ गया हूं। मेरी अगली तारिख पेशी मंगलवार 18-10-22 को है, तो मैं पेशी पर जाउगा तो पटवारी जी से एक बार और बात कर लूंगा हो सकता है वो पैसों की मांग कर ले।'' जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी से आवश्यक पूछताछ कर मामले की गोपनीयता बरतने एवं दिनांक 18-10-22 को कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत के रवाना किया।

तत्पश्चात 19-10-2022 समय करीबन 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी कार्यालय में उपस्थित आया और मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि ''मैं कल दिनांक

18–10–22 को नगर विकास प्रन्यास उदयपुर पहुँच न्यायालय तहसील कार्यालय में जहां पर श्री लक्ष्मणजी पटवारी नहीं मिले, जिस पर मैंने नगर विकास प्रन्यास परिसर में उनकी तलाश की एवं वहाँ पर उपस्थित कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने श्री लक्ष्मण पटवारी का राजकार्य से फिल्ड में जाना बताया जिस कारण से मैंने आपसे सम्पर्क नहीं किया। इसके बाद मैंने यूआईटी से अपनी कार्यवाही से संबंधित कागजात् की फोटोप्रति प्राप्त की जो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं।'' इस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत कागजात का अवलोकन किया गया। आगे परिवादी ने बताया कि ''मुझे लगता है कि पटवारी का सेक्शन बदल गया है एवं वो मेरे कॉल भी नहीं उठा रहे हैं।'' जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी से दीगर आवश्यक पूछताछ कर परिवादी को मामलें की गापेनीयता बरतने एवं आरोपी द्वारा आपसे सम्पर्क करने पर तुरन्त मन् पुलिस उप अधीक्षक को सूचित कराने करने की हिदायत के रूखसत किया। अब तक के हालात से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया।

फिर 21–10–2022 समय करीबन 11.20 ए.एम. आरोपी श्री लक्ष्मण पटवारी द्वारा परिवादी से सम्पर्क किया या नहीं, की जानकारी किया जाना आवश्यक होने से श्री विकास कुमार कानि. को परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी से सम्पर्क करने हेतु कहा गया तो श्री विकास द्वारा अवगत कराया कि मैंने परिवादी बन्शीलाल डांगी से जरिये दूरभाष वार्ता की तो परिवादी द्वारा बताया कि आरोपी का आगे से कोई कॉल नहीं आने एवं न ही किसी प्रकार से कोई सम्पर्क करना बताया। नोट दर्ज किया गया। ट्रेप कार्यवाही की कार्यवाही से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। समय करीबन 1.20 पीएम पर श्री विकास कुमार कानि. द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को अवगत कराया कि अभी समय करीबन 1.12 पी.एम. पर परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी का कॉल मेरे मोबाईल पर आया और उसने मुझे बताया कि श्री लक्ष्मण जी पटवारी साहब का वाट्सअप कॉल मेरे मोबाईल पर आया है, मैं क्या करूं, जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा मामले की गोपनीयता के मध्यनजर श्री गजेन्द्र कुमार सउनि व श्री अजय कुमार कानि. को परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी से आर.के. सर्कल पर मिलकर आरोपी श्री लक्ष्मण पटवारी से रिश्वती राशि के मांग सत्यापन संबंधी वार्ता कराने हेतु मय ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्ड सुपूर्द कर आवश्यक हिदायत के रवाना किया गया। जिस पर समय करीबन करीबन 2.15 पी.एम. श्री गजेन्द्र कुमार सउनि व श्री अजय कुमार कानि. को परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी से आर.के. सर्कल आस–पास मिलकर आरोपी पटवारी से रिश्वती राशि के मांग सत्यापन संबंधी वार्ता कराने हेतु आवश्यक हिदायत के पूर्व में रवाना किया गया था जो इस समय कार्यालय में उपस्थित आयें एवं श्री गजेन्द्र कुमार सउनि द्वारा मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि '' कार्यालय से रवाना हो हम दोनो आर.के. सर्कल के कुछ आगे पहुंचे जहां पर परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी से सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने कुछ देर में वहाँ आने की बात कही, जिस पर कुछ समय बाद परिवादी अपनी कार से वहाँ पर उपस्थित आया जिस पर परिवादी को एक साईड में लेकर गए एवं ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर को ऑन कर समय करीबन 1.48 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल नंबर 9982441111 से आरोपी पटवारी के मोबाईल नं. 7976876159 पर व्हॉट्सअप कॉल कराया तो आरोपी द्वारा परिवादी की भूमि के पूर्व में खोले गये म्युटेशन के संबंध में परिवादी की विपक्षी पार्टी द्वारा शिकायत करने की बात कही एवं परिवादी द्वारा भी आरोपी को पूर्व में खोले गये म्युटेशन के एवज में खर्चा पानी के संबंध कहा गया जिस पर आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी को यूआईटी के पास मिलने के लिये बुलाया जाने पर परिवादी ने आरोपी को शाम तक मिलने का कहा।'' इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्डर में हुई रिकार्ड वार्ता को सुना गया। रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता के तथ्यों को श्री गजेन्द्र कुमार सउनि द्वारा भी पुष्टि की गई। आरोपी द्वारा परिवादी से मिलने के लिये बुलाया जाने से रिश्वती राशि ग्रहण करने की भी पूर्ण सम्भावना होने से अग्रिम कार्यवाही के क्रम में पूर्व में पाबन्दशुदा गवाह श्री कपिल वसीटा, भू–वैज्ञानिक एवं श्री खोरवाल महेन्द्र कनिष्ठ सहायक को तलब किया गया तो श्री कपिल वसीटा, भू–वैज्ञानिक का स्वास्थ्य खराब होने एवं श्री खोरवाल महेन्द्र कनिष्ठ सहायक आकस्मिक अवकाश में होने से मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा एक तहरीर अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर को दो स्वतंत्र गवाह उपलब्ध कराने हेतु जारी की गई जिस पर दो व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित आये जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछा गया तो हर दोनो ने अपना परिचय श्री जितिन कुमार पुत्र श्री शैलेन्द्र सिंह चौहान, उम्र 33 वर्ष निवासी 26 ईस्ट, समता विहार, अंबामाता घाटी, तितरड़ी, उदयपुर हाल वरिष्ठ सहायक एवं श्री

ललित सिंह गौड पुत्र श्री मानसिंह गौड़, उम्र 35 साल, निवासी मकान नंबर 16, बोहरा गणेश जी मेन रोड़, पुलिस थाना प्रतापनगर, उदयपुर हाल कनिष्ठ सहायक निदेशालय खान भू विज्ञान विभाग उदयपुर होना बताया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने दोनो गवाहान को ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने हेतु स्वीकृति चाही गई तो हर दोनो गवाह द्वारा अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की जाने पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उपस्थित स्वतंत्र गवाह को परिवादी द्वारा दिनांक 7.9.2022 को प्रस्तुत शुदा लिखित रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई एवं पढ़ाई गई जिस पर परिवादी की लिखित रिपोर्ट पर स्वतंत्र गवाहान श्री जितिन कुमार वरिष्ठ सहायक एवं श्री ललित सिंह गौड कनिष्ठ सहायक ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। उपस्थित स्वतंत्र गवाहान को पूर्व में की गई ट्रेप कार्यवाही के पूर्व हालात एवं रिश्वती राशि जो कि लिफाफे में सुरक्षित अलमारी में पूर्व में रखवाई गई के बारे में सम्पूर्ण हालात से अवगत कराया गया। समय करीबन 3.55 पी.एम. पर तलवीदा परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी तलब शुदा कार्यालय में उपस्थित आया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान श्री जितिन कुमार वरिष्ठ सहायक एवं श्री ललित सिंह गौड कनिष्ठ सहायक का आपस में परिचय करवाया गया एवं रिश्वती राशि 10,000 रूपये जो कि पूर्व में लिफाफे रखकर कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाई गई थी, को कानि. श्री विकास कुमार से मंगवाई गई। उक्त लिफाफे से रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाह श्री ललित सिंह गौड कनिष्ठ सहायक से निकलवाई गई जाकर गिनवाई गई तो 500-500 रूपये के कुल 20 नोट कुल राशि 10,000 रूपये पायी गई। उक्त राशि में अंकित नोटों के नम्बरों का मिलान स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट दिनांक 07.09.2022 से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का मिलान हुबहु हुआ।

दर्ज रहे कि रिश्वती राशि 10,000 रूपये पर पूर्व में फिनोफथेलीन पाउडर लगवाया गया था, किन्तु उक्त कार्यवाही में पूर्व में उपस्थित स्वतंत्र गवाहान की जगह तलब किये गए अन्य गवाहान के उपस्थित आने से रिश्वती राशि पर फिनोफथलीन पाउडर लगवाया जाना आवश्यक होने से ब्यूरो इकाई उदयपुर से श्री मुनीर मोहम्मद हैडकानि. को कार्यालय हाजा में फिनोफथेलीन पाडडर की शीशी मय ट्रेप बॉक्स के तलब किया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा इमरोजा समय करीबन 1.48 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी के मध्य मोबाईल वाट्सअप पर हुई वार्ता जिसे श्री गजेन्द्र कुमार सउनि द्वारा डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की थी उस रिकार्ड वार्ता को उपस्थितिन के समक्ष चला कर सुना तो उसमें आरोपी द्वारा परिवादी के पूर्व में खोले गये म्युटेशन के संबंध में वार्ता होकर परिवादी द्वारा पूर्व में म्युटेशन के दौरान हुई लेन-देन का जिक्र किया तो आरोपी द्वारा सोच समझकर बोला कि **''आपके और आपके पड़ौसी का मामला है आप आपस में निपट लेना, हमें आँच नहीं आनी चाहिये''** एवं विस्तृत वार्ता हेतु शाम को मिलने हेतु कहा गया, इस पर समयाभाव होने के कारण फर्द ट्रान्सकिप्ट बाद में पृथक् से मुर्तिब किया जाना निश्चित किया गया, नोट दर्ज किया गया। फिर समय करीबन 04.05 पी.एम. पर ब्यूरो इकाई उदयपुर से श्री मुनीर मोहम्मद हैडकानि. मय फिनोफथलीन पाउडर की शिशि मय ट्रेप बॉक्स के उपस्थित आया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी एवं स्वतंत्र गवाहान श्री ललितसिंह एवं श्री जितिन चौहान के समक्ष श्री मुनीर मोहम्मद से एक अखबार पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर रिश्वती राशि को परिवादी के पहने हुए पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शैः नहीं छोडते हुए रखवाये गए।

तत्पश्चात परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री अजय कुमार कानि. से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाया जाकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री मुनीर मोहम्मद हैडकानि. के हाथों की अंगुलियां एवं अंगुठे जिस पर फिनोफथलीन पाउडर लगा हुआ था, को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हुआ जिसे स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी ने स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह के समक्ष फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रसायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बतायी गयी एवं इसके मन्तव्य से अवगत कराया। गुलाबी रंग के घोल को श्री मुनीर हैड कानि. से कार्यालय से बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी एवं साबुन से धुलवाया गया एवं प्रयुक्त अखबार को भी श्री मुनीर हैड कानि. से जलाकर नष्ट करवाया गया एवं श्री मुनीर मोहम्मद हैडकानि. को मय फिनोफथलीन पाउडर की शीशी के ब्यूरो इकाई उदयपुर पर रवाना किया गया एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक,

स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ते ने अपने अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये। उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करा संलग्न कार्यवाही की गई।

तदुपरांत समय करीबन 04.20 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री जितिन चौहान वरिष्ठ सहायक, श्री ललित सिंह गौड कनिष्ठ सहायक, श्री गजेन्द्र कुमार सउनि, श्री विकास कुमार कानि. मय ट्रेप बॉक्स के निजी वाहन से तथा परिवादी को मय श्री अजय कुमार कानि. के उसकी निजी कार से मय डिजीटल टेप रिकार्डर के आगे–आगे रवाना कर पीछे–पीछे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान भी समय करीबन 4.25 पी.एम. पर रवाना नगर विकास प्रन्यास उदयपुर की ओर हुए एवं समय करीबन 05.15 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान पैरा उपरोक्त के रवाना शुदा नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के कुछ पहले रूककर परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वती राशि ग्रहण करने के बाद अपनी कार से हाथ बाहर निकाल कर हिलाने का या मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करने का निर्धारित ईशारा करने की हिदायत दी गई एवं उक्त ईशारे से हमराहियान को भी अवगत कराया गया एवं मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर चालु कर परिवादी को सम्भलाकर नगर विकास प्रन्यास की ओर रवाना किया गया। मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह नगर विकास प्रन्यास के बाहर की परिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में रहे। मन् पुलिस उप अधीक्षक एवं दीगर जाब्ता यूआईटी के आस–पास ही परिवादी के इशारे के इंतजार में छुपते हुए खड़े रहे कि कुछ समय बाद एक व्यक्ति नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के प्रवेश द्वार से पैदल चलता हुआ परिवादी की कार की तरफ आया और परिवादी की कार में बैठ गया व परिवादी और वह व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। कुछ समय बाद वह व्यक्ति जो परिवादी की कार में बैठा था वापस उतरकर नगर विकास प्रन्यास उदयपुर की तरफ रवाना हुआ और परिवादी द्वारा बिना ईशारे किये अपनी निजी कार से रवाना हुआ जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक एवं दीगर जाब्ता भी अपने–अपने वाहनों से परिवादी की कार के पीछे–पीछे रवाना होकर ब्यूरो इकाई उदयपुर पर समय करीबन 5.10 पीएम पर पहुंचे जहाँ परिवादी ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि ''मेरी और श्री लक्ष्मण पटवारी की बातचीत हुई, किंतु आरोपी श्री लक्ष्मण पटवारी ने रूपये लेने से साफ मना कर दिया है।''

तत्पश्चात् समय करीबन 05.20 पीएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा आज दिनांक 21–10–22 को परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी एवं आरोपी श्री लक्ष्मणलाल पटवारी के मध्य हुई मांग सत्यापन वार्तायें जिन्हें ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया है को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चलाकर सुना गया तो वार्ताओं में आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी एवं उसके विपक्षी के लडाई है, तुम समझ लो में हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिये एवं **परिवादी द्वारा रिश्वती राशि हेतु आरोपी पटवारी को कहा गया तो आरोपी पटवारी द्वारा रिश्वती राशि लेने हेतु साफ इन्कार कर दिया एवं परिवादी की शिकायत पर अन्य किसी को भी रिश्वत नहीं देने का कहा।** तत्पश्चात समय करीबन 05.30 पीएम पर समय मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री बन्शीलाल डांगी एवं आरोपी श्री लक्ष्मणलाल पटवारी के मध्य हुई आज दिनाक 21.10.2022 को हुई, मांग सत्यापन वार्तायें समय करीबन 1.48 पीएम एवं समय करीबन 4.44 पीएम जो कि ब्यूरो के डिजीटल टेप रिकार्ड में रिकार्ड है को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चला कर सुना गया एवं श्री विकास कुमार कानि से कम्प्युटर से वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्टें पृथक–पृथक टाईप करा मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं डिजीटल टेप रिकार्डर को श्री विकास कुमार कानि. से ही उपस्थितिन के समक्ष लेपटोप से कनेक्ट करा वार्ताओं की मूल एवं डब सिडियां पृथक–पृथक तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं मूल सिडियों को सिडी कवर में पृथक–पृथक रखवा सिलबन्द करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद दिनांक 21.10.2022 को हुई परिवादी एवं आरोपी पटवारी की वार्ताओं से स्पष्ट है कि अब आरोपी विशेष सतर्कता एवं सावधानी बरत रहा हैं अब रिश्वती राशि ग्रहण नहीं करेगा जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत 500–500 के 20 नोट कुल 10,000 रूपये राशि जरिये रसीदन सुपुर्द की जाकर रसीद की प्रति संलग्न पत्रावली की गई एवं उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री जितिन चौहान वरिष्ठ सहायक एवं श्री ललित सिंह गौड कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी को रूखसत दी गई।

अतः आरोपी श्री लक्ष्मणलाल माली पटवारी नगर विकास प्रन्यास विशेष सतर्कता एवं सावधानी बरत रहा हैं एवं काफी चतुर व चालक होकर रिश्वती राशि ग्रहण नहीं कर रहा है।

दिनांक 21.10.2022 को हुई वार्ताओं से स्पष्ट है कि आरोपी को परिवादी बन्शीलाल डांगी पर शंका हो गई है जिस कारण अब रिश्वती राशि ग्रहण नहीं कर रहा है, जबकि सत्यापन वार्तायें दिनांक 7.9.2022 में रिश्वती राशि मांग सत्यापन मोबाईल वार्ता समय करीबन 1.02 पीएम में दौराने वार्ता परिवादी कहता है कि **''ठीक है सर, आपके लिये आपके वास्ते चालीस यूं मानो, दो चार चार किश्तें कर लूं, क्या करूँ ये बताओ''** इस पर आरोपी पटवारी कहता है कि **''नी यार चार नहीं होगी यार, नी यार प्लीज यार, चार मत करो यूं मत करो''** आगे परिवादी कहता है कि **''पांच पांच दिन में दे दूंगा साब और क्या करूँ''** तो आरोपी पटवारी कहता है कि **''नहीं यार मेरी बात सुनो जो चार मत करो यार प्लीज यार''** तो आगे परिवादी रिश्वत राशि कुछ कम कहने कि बात करते हुए कहता है कि **''तो एक काम करो साब, नहीं हो तो चालीस के बदले तीस करो तो दो किश्त में कर देंगें खतम करें''** इस पर आरोपी सहमति देते हुए तुरंत उसी दिन बीस हजार लेने पर सहमत होते हुए कहता है कि **''तो आज मुझे बीस दे दो, फिर दस तुम कल परसों भले दे देना''** इस प्रकार संदिग्ध पटवारी द्वारा परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी से 40,000 रूपये की मांग की गई, किन्तु परिवादी द्वारा राशि कम करने की कहने पर संदिग्ध पटवारी 20,000 रूपये लेने हेतु राजी हुआ और संदिग्ध द्वारा रूपये लेकर आज ही 1 या 2 घन्टे में रिश्वत राशि लेकर आने को कहा गया। वार्ता में परिवादी व आरोपी के कार्य के बारें में पूरी बात नहीं होने से मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पुनः समय करीबन 1.25 पीएम पर परिवादी एवं आरोपी की वार्ता जरिये मोबाईल कराई गई जिसमें आरोपी पटवारी परिवादी को कहता है कि **''मैं पेशियाँ आपको सब बता दूँगा, हाथों हाथ साहब को फोन करके पूछ लूंगा वहाँ हीं''** इस पर परिवादी रिश्वती राशि के बारे में कहता है कि **ठीक है चलो वा, तो ये बीस तो वा दे ही दूँ अभी ठीक है आज''** इस पर आरोपी अपनी सहमति स्पष्टतः देते हुए कहता है कि **''हां दो दो''** परिवादी के पुनः पूछने पर कि **''बीस हजार ठीक है साब''** तो आरोपी पुनः सहमति देते हुए **''हां''** कहता है। इस प्रकार आरोपी पटवारी रिश्वती राशि 40,000 हजार की जगह 20,000 रूपये लेने को तैयार हो जाता हैं। उपरोक्त वार्ताओं से आरोपी पटवारी लक्ष्मणराम द्वारा रिश्वती राशि की मांग करना प्रमाणित हैं।

इस प्रकार अब तक की संपूर्ण कार्यवाही एवं फर्द ट्रान्सकिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ताओं से आरोपी श्री लक्ष्मणराम, पटवारी, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के द्वारा परिवादी श्री बन्शीलाल डांगी की यूआईटी में तहसील कार्यालय में दर्ज कराई गई शिकायत पर परिवादी के पक्ष में कार्यवाही कराने की एवज में 40,000 रूपये की मांग करना एवं परिवादी द्वारा रिश्वती राशि थोड़ी कम करने की कहने पर 20,000 रूपये रिश्वती राशि की मांग की जाना आरोपी श्री लक्ष्मण राम माली पिता तुलसाराम जाति माली उम्र 41 साल निवासी दर्शनम अपार्टमेन्ट समतानगर बेदला जिला उदयपुर हाल पटवारी, नगर विकास प्रन्यास जिला उदयपुर के विरूद्ध धारा 7 पीसी एक्ट (संशोधित) 2018 का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

अतः आरोपी श्री लक्ष्मणराम माली पिता तुलसाराम जाति माली उम्र 41 साल निवासी दर्शनम अपार्टमेन्ट समतानगर बेदला जिला उदयपुर हाल पटवारी, नगर विकास प्रन्यास जिला उदयपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांक हेतु श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,

दिनेश सुखवाल
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
इन्टे0 उदयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दिनेश सुखवाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भ्र.नि. ब्यूरो (इन्टें.) उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री लक्ष्मणराम माली पिता तुलसाराम, पटवारी, नगर विकास प्रन्यास, जिला उदयपुर के विरूद्ध गठित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 460/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.11.22
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3952-55 दिनांक 30.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश वं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. अति.पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (ईन्टें) उदयपुर।

30.11.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।